माननीय अध्यक्ष महोदय (मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी) राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प इन्दौर म.प्र. के समक्ष

PBR/निगरानी/इंदौर/स्टांप अधि/2017/4658

श्री शिवनारायण पिता श्री भीलचन्द्र जी पाटीदार
निवासी - ग्राम गवली पलासिया तहसील महू
जिला इंदौर म.प्र.

-- याचिकाकर्ता

विरूद्ध

श्री ... अभि. द्वारा 28/11/17 को प्रस्तुत

01. म.प्र.शासन तर्फे कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प एवं
वरिष्ठ जिला पंजीयक जिला इंदौर
मोती तबेला इंदौर म.प्र.

02. श्रीमान् अतिरिक्त तहसीलदार एवं
वरिष्ठ जिला पंजीयक इन्दौर
पता मोती तबेला के पास, नवीन कलेक्टर
प्रागण, ग्राऊंड फ्लोर, इन्दौर म.प्र.

-- प्रत्यार्थी

//निगरानी याचिका//

धारा 56 (1) भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 के अन्तर्गत।

याचिकाकर्ता तर्फे विनम्र प्रार्थना है कि :-

याचिकाकर्ता द्वारा सदर अपील माननीय कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प जिला इंदौर म.प्र. के अपील प्रकरण क्रमांक/120/बी -103/2013-14/33 में दिनांक 29/03/17 को पारित आदेश एवं न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार एवं वरिष्ठ जिला पंजीयक इन्दौर -1, के द्वारा प्रेषित आर.आर.सी. नम्बर 157/ए-76/2017-18 से व्यथित होकर सदर अपील निम्नानुसार प्रस्तुत करते है कि :-

शिवनारायण) क्षत्रिय आदि

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निग/राजगढ/स्टा0अधि0/17/4658

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5.12.2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश दिनांक 29–3–2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 22–11–2017 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । आवेदक अधीनस्थ न्यायालय में पूर्व में उपस्थित रहा है । उसके बाद वह जानबूझकर अनुपस्थित हुआ तथा प्रकरण की स्थिति जानने का कोई प्रयास भी नहीं किया गया । बिलम्ब क्षमा हेतु प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में इस संबंध में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है । आवेदक ने विलम्ब के संबंध में जो कारण बताये गये हैं, वह विलम्ब का सद्भाविक कारण नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथमदृष्टया अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	